1

बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-05/2017 13 पटना, दिनांक-12.07.17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः- मुख्यशीर्ष-3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना शीर्ष के विषय शीर्ष 0120.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹10,00,000/-(दस लाख रुपये) का आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या-1413 दिनांक 10.07.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना शीर्ष के विषय शीर्ष 0120.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040120 है।

4. संलग्न विवरणी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो स्वीकृत्यादेश-1413 दिनांक 10.07.2017 की कंडिका 5 के निदेशानुसार सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से राशि की निकासी करते हुए राशि बिहार सांख्यिकी तंत्र विकास अभिकरण, पटना के विश्वेश्वरैया भवन, स्थित कोषागार के पी०एल०खाता संख्या-284 में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंब्न, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
8. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. आबंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1413 दिनांक 10.07.2017 के आलोक में बिहार सांख्यिकी तंत्र विकास अभिकरण में कार्यरत वाहन चालक एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पारिश्रमिक भुगतान तथा कार्यालय व्यय आदि के निमित्त निमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है।

विश्वासभाजन

बजट सहायक | प्रशाखा पदा0 | सहायक निदेशक | निदेशक

ज्ञापांक- 13 दिनांक- 12-07-17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक- 13 दिनांक- 12-07-17

प्रतिलिपिः- 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक- 13 दिनांक- 12/07/17

प्रतिलिपिः- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. परियोजना निदेशक, बिहार सांख्यिकी तंत्र विकास अभिकरण, पटना
3. उप निदेशक (योजना)/उप निदेशक (प्रकाशन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
4. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।

निदेशक

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0120-भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040120

क्र.सं.	जिला का नाम	13-01 कार्यालय व्यय	31-04 सहायक अनुदान-वेतन	31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन	कुल योग
1	2	3	4	7	9
1	निदेशालय (मुख्यालय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	1000000	**1000000**
कुल योग:-		0	0	1000000	**1000000**

(दस लाख) रुपये मात्र

बजट सहायक   प्रशाखा पदाधिकारी   सहायक निदेशक   निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

620 Sanju 18-5-17